लोक–सुनवाई का वृत

स्थल : सभागार, मांझी प्रखंड कार्यालय, मांझी, जिला–सारण (बिहार)

तिथि : 29-11-2022 (मंगलवार), समय : **अपराह्न** 1:30 बजे

विषय: चार लेन इंटर कॉरिडोर (Green Field Alignment), राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर–बलिया (यू0पी0)–सारण (बिहार) में NH-31 के विकास एवं निर्माण हेतु मांझी ब्लॉक कार्यालय, मांझी, जिला–सारण (बिहार) में लोक सुनवाई

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत माला परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चार लेन इंटर कॉरिडोर (Green Field Alignment), राष्ट्रीय राजमार्ग गाजीपुर–बलिया (यू0पी0)–सारण (बिहार) में NH-31 के विकास एवं निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति के संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकण अधिनियम, 2006 के तहत् पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित सुझाव एवं टिका–टिप्पणी स्थानीय नागरिकों से प्राप्त करने हेतु दिनांक दिनांक–**29.11.2022** को अपराह्न 1:30 बजे सभागार, मांझी ब्लॉक कार्यालय, मांझी, जिला–सारण में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

प्रस्तावित सड़क निर्माण-कार्य उत्तर प्रदेश के **चाँद दियरा गाँव** से आरंभ होकर **रिविलगंज बायापास**, बिहार तक प्रस्तावित है। कुल लम्बाई लगभग 2.57 किलोमीटर है। जिसमें मांझी गाँव, सहावलपुर गाँव, कोरू–धोरू गाँव एवं मझनपुरा गाँव प्रभावित होंगे।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0 पत्र के आलोक में अपर समाहर्ता, सारण, छपरा की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी ने भाग लिया :–

1. डा0 गगन कुमार, अपर समाहर्ता, सारण, छपरा,
2. श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकरी,
   बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर,
3. श्री अंजनी कुमार सिन्हा, स0प0अ0 (मु0),
   बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना,
4. श्री अभिषेक कुमार, प्रबंधक, तकनीकी,
   परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
   भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
   आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,
5. डा0 राजदीप, सलाहकार,
   आरभी एसोसिएट।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित सूचना दैनिक समाचार पत्रों यथा–हिन्दुस्तान टाईम्स, द टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक 27.10.2022 को प्रकाशित किया गया .... (अनु0–1)

लोक–सुनवाई संचालन के दौरान स्टील फोटोग्राफी एवं अनवरत विडियोग्राफी कराया गया ..(अनु0–2 व 3)

लोक सुनवाई की अध्यक्षता अपर समाहर्ता, छपरा, सारण की अनुमति से बैठक की कार्रवाई का शुभारंभ करते हुए श्री अंजनी कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष महोदय, उपस्थित गणमान्य नागरिकों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पदाधिकारी एवं सलाहकार का स्वागत करते हुए प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के संबंध में जानकारी दिया। श्री सैन कुमार ने प्रभाव परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकण प्रतिवेदन में संभावित पर्यावरणीय प्रदूषण प्रभाव एवं उनके निराकरण हेतु किये गये उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु संस्थान के सलाहकार डा0 राजदीप से अनुरोध किया।

डा0 राजदीप, सलाहकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के प्रस्तावित परियोजना, उक्त दौरान संभावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सविस्तार विवेचना किया। इन प्रदूषणों के निवारण एवं नियंत्रण से

संबंधित ई0आई0ए0 प्रतिवेदन में सुझाये गये उपायों की जानकारी दिया। गाँवों से गाँवों के निकास के दौरान अण्डरपास एवं सर्विस रोड तथा वृक्षारोपण के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दिया।

श्री सिन्हा द्वारा उपस्थित नागरिकों से उपरोक्त सुझाये गये पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित उपायों के अतिरिक्त अन्य सुझावों के संबंध में उनके मंतव्य एवं टिका–टिप्पणी के संबंध में जानकारी मांगी। उपस्थित नागरिकों में से निम्नलिखित नागरिकों ने अपना–अपना सुझाव/टिका–टिप्पणी प्रस्तुत किया तथा संबंधित पदाधिकारियों एवं सलाहकार द्वारा उनके सुझाव एवं टिका–टिप्पणरी अथवा पूछे गये प्रश्नों के समाधान का उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:–

1. श्री जय प्रकाश सिंह, कोरू–धोरू ग्राम : श्री सिंह ने प्रश्न किया कि पथ निर्माण से दोनों तरफ के गाँवों को जोड़ने के लिए परियोजना में अण्डरपास की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं तथा सरयु नदी से खेतों में सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करायी गयी है अथवा नहीं?

– डा0 राजदीप ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि इस परियोजना में **गाँव से गाँव को जोड़ने के लिए अण्डरपास** की व्यवस्था एवं खेतों में सिंचाई के लिए केनाल की सुविधा प्रस्तावित है।

2. श्री उदयशंकर सिंह, मझनपुरा : रिविलगंज–वायपास के पास एक गाँव से दूसरे गाँव में आने–जाने के लिए रेल गुमटी के नीचे एक अँण्डरपास की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।

– अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परियोजना के तहत् वह क्षेत्र नहीं आता है। अतः इस परियोजना के साथ उक्त स्थल पर अण्डरपास की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित परियोजना में शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि मझनपुरा के **स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन करने तथा उनके स्वास्थ्य की देख–रेख की सुविधा प्रदान** किया जाय।

3. श्री कृष्णा सिंह, मझनपुरा एवं श्री मनोज कुमार सिंह, बहोरन सिंह के टोला : प्रस्तावित परियोजना के साथ घाघरा नदी पर पुल का निर्माण किस दिशा में किया जायेगा तथा सड़क के वर्क वाले हिस्से के निर्माण के कारण अंतःक्षेत्र क्या कम हो जायेगा?

– डा0 राजदीप ने सूचना दिया कि घाघरा पुल का निर्माण प्रस्तावित सड़क के पूरब दिशा में किया जायेगा तथा सड़क के वर्क वाले क्षेत्र में अंतःक्षेत्र पर्याप्त रखा गया है।

4. श्री रोहित चौधरी, मोहन सिंह का टोला : श्री सिंह ने प्रस्ताव दिया कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित क्षेत्र के **परिवेशीय वायु की गुणवत्ता का आंकलन प्रत्येक छः माह के अन्तराल में किये जाने का प्रस्ताव है, यह आंकलन प्रत्येक माह किया जाय।**

– डा0 राजदीप ने सूचित किया कि परियोजना में प्रस्ताव को सामिल करने के लिए नोट कर लिया हूँ।

5. श्रीमति मानकी देवी, मझनपुरा : श्रीमति मानकी देवी ने अपर समाहर्ता को सूचित किया कि **उनके पास जो भी जमीन था वह इस परियोजना में उनसे ले लिया गया है।** अब वे **भूमिहीन** हो गयी हैं। क्या प्रस्तावित परियोजना में **पुर्नवास की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है?**

– अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारी, मांझी को निदेश दिया कि इस प्रकार की परिस्थिति वाले लोगों की सूची तैयार की जाय तथा सरकार द्वारा पोषित योजना के तहत् ऐसे लोगों का शीध्र पुर्नवास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

6. श्री नन्द कुमार, कोरू–धोरू ग्राम : सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, इस संबंध में जानकारी मांगा।

– डा0 राजदीप ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित उच्च–पथ परियोजना में सड़क की चौड़ाई 45 मीटर रखी गयी है।

अपर समाहर्ता, श्रीमान अध्यक्ष द्वारा उपस्थित नागरिकों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए लोक–सुनवाई की बैठक को समाप्त करने की घोषणा की गयी।

सैन कुमार

(अंजनी कुमार सिन्हा)	(सैन कुमार)	(डा0 गगन कुमार)
स0प0अ0 (मु0)	क्षेत्रीय पदाधिकारी	अपर समाहर्ता
बि0रा0प्र0नि0पर्षद, पटना	बि0रा0प्र0नि0 पर्षद,मुजफ्फरपुर	छपरा, सारण

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस.बी-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्र, पटना-800 010

अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/नागरिकों की उपस्थिति पंजी

दिनांकः 29.11.2022 (मंगलवार)

स्थलः सभागार/परिसर मांझी ब्लॉक कार्यालय, मांझी, जिला-सारण (बिहार)

समयः अपराह्न 1:30 बजे से

विषयः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ई0आई0यू0 कार्यालय, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त 4-लेन ग्रीन फिल्ड एलाईनमेंट राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक-सुनवाई।

उपस्थिति पंजी:-

क्रमांक	नाम एवं पता	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1.	डॉ० गगन, अपर समाहर्ता, सारण	9473191248	[signature]
2.	हेमन्त कुमार, क्षे०प०पदा० बि०रा०प्र०नि०प० मुजफ्फरपुर		[signature] 29/11/22
3.	धनंजय कुमार, C.O. Manjhi	8544412867	[signature] 29/11/22
4.	अंजनी कुमार सिन्हा, ए०प०अ०, बी.एस.-पी.सी.बी. पटना	9431079069	[signature] 29.11.22
5.	अभिषेक, प्रबंधक (तक०) भा० रा० रा० प्रा०, आजमगढ़	7033686605	Abhi 29/11
6.	विवेक कुमार, मांझी थाना बाजार	7903848076	विवेक कुमार
7.	धर्मजीत कुमार सिंह, धनी छपरा	9110954001	Dharmjeet Singh
8.	जवाहीर सिंह, वार्ड 99 [illegible]		जवाहीर सिंह
9.	कुमार आदित्य कुमार सिंह, दुर्गापुर	6380119062	[signature]
10.	विवेक कुमार सिंह, दुर्गापुर	9023738661	Vivek Singh

क्रमांक	नाम एवं पता	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
11.	Jitendra Kumar Jha	8789713404	[signature]
12.	Manjeet Kumar Yadav	8804407724	[signature]
13.	प्रमोद कुमार सिंह	9006686531	प्रमोद
14.	[illegible]	[illegible]	[signature]
15.	[illegible] केशरी	73018[illegible]	[signature]
16.	राजकुमार प्रसाद [illegible]	8887852638	[signature]
17.	उर्मिला देवी		उर्मिला देवी
18.	दुर्गेश कुमार	9504141678	[signature]
19.	संजू कुमार सिंह	7250894019	[signature]
20.	Tarkeshwar Singh	9973262490	T.K.Singh
21.	Ramjee Singh	7857005998	Ramjee Singh
22.	Jaiprakash Singh	8084816121	[signature]
23.	साधु सिंह	8800518665	Sadhu Singh
24.	अशोक सिंह	7493819423	अशोक सिंह
25.	गिरजानन्द चौधरी		गिरजानन्द चौधरी
26.	सुरेश सिंह	9934305943	[signature]
27.	देवकुमार सिंह		देवकुमार सिंह

क्रमांक	नाम एवं पता	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
28.	परमात्मा सिंह	9835695213	परमात्मा सिंह
29.	रामाशंकर चौधरी		रामाशंकर चौधरी
30.	डॉ० वीरेन्द्र सिंह	821055510	[illegible] 29/11/22
31.	मनीष कुमार सिंह	9973203160	Manish Kumar Singh 29/11/22
32.	विनय कुमार सिंह	9801270901	विनय कुमार सिंह 29/11/22
33.	रौशन कुमार सिंह	8674829636	Roshan
34.	विकाश कुमार शर्मा	7903994798	vikash kumar sharma 29/11/22
35.	प्राणनाथ शर्मा		प्राणनाथ शर्मा 29/11/2022
36.	Ravi Shankar Singh	7903849061	Ravi Shankar Singh 29-11-22
37.	विद्या चौधरी		विद्या चौधरी
38.	नन्दकिशोर चौधरी		29-11-22 नन्दकिशोर चौधरी
39.	शिवजी साह	9939248232	24-11-22 [illegible]
40.	रविन्द्र सिंह	8210088268	[illegible]
41.	अद्वैत प्रसाद	6206707164	अद्वैत प्रसाद
42.	रोहित कुमार चौधरी (सुरेन्द्र चौ०)	7004796326	Rohit kumar
43.	पंडित शर्मा	91101216[illegible]	पंडित शर्मा
44.	कमलेश राम	7061427452	कमलेश राम
46.	गुड़ीयाँ देवी	7209063436	गुड़ियाँ देवी

क्रमांक	नाम एवं पता	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
48.	मोतीझरी देवी [illegible]	—	—
49.	तेतरी देवी, मझनपुरा	—	—
50.	परशुराम लोहार मझनपुरा		
51.	[illegible]		
52.	दिलीप कुमार सिंह [illegible]		
53.	उपेन्द्र मान सिंह		
54.	त्रिलोकि सिंह [illegible]		
55.	राहुल कुमार चौधरी	7980183343	[illegible]
56.	मोहित कुमार	8102770917	मोहित कुमार
57.	निर्मल प्रसाद साह		निर्मल प्रसाद साह
58.	मनोज महतो		मनोज महतो
59.	प्रेम कुमार	6207552817	प्रेम कुमार
60.	जोगेन्द्र राय	8585996452	
61.	Aanyan Raj Singh	8441005393	Aanyan Raj

सैन कुमार 22/11/22

(सैन कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर

(डा0 गगन कुमार)
अपर समाहर्ता
सारण (छपरा)